



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन 18, बुधवार, शाके 1943-मार्च 09, 2022  
Phalguna 18, Wednesday, Saka 1943- March 09, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा

अधिसूचनाएं

गृह (गुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 08, 2022

**एस.ओ.248 :-** राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21.05.2020 जो कि राजपत्र में एस.ओ. संख्या 248 दिनांक 21.05.2020 में प्रकाशित हुई है, समय-समय पर यथासंशोधित, में निम्नानुसार संशोधन करती है:-

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विद्यमान क्रम संख्या 4 के पश्चात नई अनुसूची 5 एवं उनकी प्रविष्टियों निम्नानुसार जोड़ी जाती हैं:-

5.	प्रत्येक कार्यालय/कार्यस्थल के संचालक यथा राजकीय, निजी, शैक्षणिक संस्थान, कारखाने, शॉपिंग मॉल्स, बैंक, शोरूम, समस्त व्यवसायिक दुकान व्यवसायिक संगठन के सदृश्य स्थान पर कितने व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की दोनो डोज लगवाई जा चुकी है तथा कितने व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई गई है की घोषणा चस्पा नहीं करने पर।	1000/-
----	--	--------

[संख्या प.9(16)गृह-5/2020]

राज्यपाल के आदेश से,

मुकेश पारीक,

शासन उप सचिव।